न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीराम जी भाई कलबी, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 117/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2023/199

प्रार्थीगण

1. हीरोदेवी पत्नी टेलाराम
2. कंवरलाल पुत्र टेलाराम
3. त्रिलोकचन्द पुत्र टेलाराम निवासी ग्राम चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र विरमराम
2. कुन्दनमल पुत्र विरमराम
3. किशनाराम पुत्र गिरधारीराम
4. गंगादेवी पत्नी बद्रीप्रसाद
5. जमनादेवी पत्नी विरमराम
6. प्रेमराज पुत्र लीलाधर
7. पवनकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
8. पीथाराम पुत्र तुलछीराम
9. भैराराम पुत्र गिरधारीराम
10. भंवरलाल पुत्र प्रेमसुख
11. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम
12. मोहनलाल पुत्र तुलछीराम
13. मोहनलाल पुत्र विरमराम
14. राजेन्द्रकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
15. लक्ष्मीकांत पुत्र ब्रदीप्रसाद
16. लुणकरण पुत्र ईशाराम
17. लाखाराम पुत्र गिरधारीराम
18. लिखमाराम पुत्र गिरधारीराम
19. हडमानराम पुत्र गिरधारीराम
20. हरीश कुमार बद्रीप्रसाद निवासीगण चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर
21. ग्राम पंचायत चिडवाई
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी 1 से 21 प्रर्मोमर पक्षकार
3. अप्रार्थी संख्या 22 राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22/4/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम चिडवाई, पटवार हल्का चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 445/204, 446/204, 214 एवं [illegible] भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है। खेतों के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नही होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा का सही ज्ञान नही है। हर समय पडौसी खातेदार प्रार्थीगण व पडौसी खेत के खातेदारों को सीमा को लेकर परेशान करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 21 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी 22 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 22 द्वारा जवाब न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी 22 द्वारा अपने जवाब मे मौजा चिडवाई के खसरा नम्बर 445/204, 446/204, 214, 215 का राजस्व नक्शे व उसके रकबे के अनुसार मौके पर मौजुद सीमा चिन्हो से नाप कर पत्थरगढी करने कीं अनुशंषा की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उक्त पत्रावली में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है अगर पडोसी खातेदारो को उक्त पत्रावली में पक्षकार बनाया जाता है तो प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त होने मे अत्यधिक विलम्ब होगा जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रह जाता है तथा प्रार्थीगण अपने खेत की सीमाज्ञान करवाने एवं पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार रखता है।

अतः ग्राम चिडवाई, पटवार हल्का चिडवाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 445/204, 446/204, 214 एवं 215 भूमि की पैमाईश हेतु तहसीलदार बालेसर को भू मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर राजस्व मण्डल राज. अजमेर के नियमानुसार उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि की पैमाईश पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करें। फसल खडी होने की सूरत मे फसल कटाई के पश्चात् सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया जावे।

आज दिनांक 22/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:31:52 IST
Reason: SelfAttested